भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 772
दिनांक 7 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका

772. श्री शशांक मणि:
श्री बसवराज बोम्मई:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का दायरा बढ़ाकर इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को सम्मिलित किया गया है, ताकि देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच में सुधार हो सके;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए और लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या सहित इसका ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश में इसके कार्यान्वयन की राज्यवार और जिलावार समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या मिशन सक्षम आंगनवाड़ी देशभर में विशेष रूप से कर्नाटक में पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी एकीकृत बाल सेवाएं प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से साधन संपन्न और आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना में भूमिका निभा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त मिशन के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है और यदि सामने कोई विशिष्ट चुनौती आई हो और उसका समाधान किया गया हो तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को भुगतान किए गए और लंबित मौद्रिक प्रोत्साहन का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): अंतरिम बजट वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2024-25 के दौरान सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य देखभाल वार्षिक कवरेज देने की घोषणा की गई थी। इस योजना में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना को 3 स्तरीय संरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें शीर्ष पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां (एसएचए) और जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन इकाइयां (डीआईयू) हैं। एबी-पीएमजेएवाई एक पात्रता आधारित योजना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने 3 फरवरी, 2024 तक आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सिवाय ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के राज्यों को छोड़कर, जहां राज्य सरकारें एबी-पीएमजेएवाई को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं, के लिए लगभग 10.58 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। पीएम-जेएवाई के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

15वें वित्त आयोग में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) और आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचा घटकों को प्रभावी कार्यान्वयन और अंतिम लाभार्थियों को बेहतर पोषण वितरण के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पुनर्गठित किया गया है। देश भर में 13.96 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के नेटवर्क के माध्यम से मिशन पोषण 2.0 के तहत निम्नलिखित छह सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है:

i. पूरक पोषण (एसएनपी),
ii. स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा,
iii. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा,
iv. टीकाकरण,
v. स्वास्थ्य जांच,
vi. रेफरल सेवाएं

छह सेवाओं में से तीन, अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं तथा एनएचएम और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की अवसंरचना सुविधा में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के लिए वित्तपोषण को क्रमशः 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये और 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये करना शामिल है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ अभिसरण में प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 12 लाख रुपये की दर से 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण का प्रावधान है, जिसमें मनरेगा के तहत 8.00 लाख रुपये, 15वें वित्त आयोग (एफसी) (या किसी अन्य अबद्ध निधि) के तहत 2.00 लाख रुपये और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 2.00 लाख रुपये केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में साझा किए जाएंगे।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को पास के उन प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें, जहां भी स्थान उपलब्ध हो।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत बेहतर पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए सरकारी भवनों में स्थित 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को प्रति वर्ष सुदृढ़ किया जाना है और उन्हें सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा जिसमें एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई से संबंधित पुस्तकें और शिक्षण सामग्री आदि शामिल हैं। आज तक, कर्नाटक राज्य में 17,732 सहित 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, सरकार ने एक कार्यकर्त्री वाले सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका वाले पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को कुशल निगरानी और सेवा वितरण के लिए स्मार्टफोन देकर तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। पोषण ट्रैकर का मोबाइल एप्लिकेशन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बनाता है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही उन्हें आंगनवाड़ियों में चल रही सभी गतिविधियों की तत्समय निगरानी करने में सुविधा होती है। देश भर में कुल 12.56 लाख स्मार्टफोन उपलब्ध हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के अलावा, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन प्रदान किए जाते हैं। इसी तरह, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को डेटा रिचार्ज सहायता प्रदान की जाती है।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर कार्रवाई करने के लिए कद और वजन के विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को इन्फैंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, शिशु के वजन मापने वाला स्केल, माता और बच्चे का वजन मापने वाला स्केल जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्रोथ मॉनिटरिंग उपकरणों के कुल 13.85 लाख सेट उपलब्ध हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के इष्टतम वितरण तथा गर्भावस्था के दौरान और बच्चे की आयु दो वर्ष होने तक व्यवहार परिवर्तन का समर्थन करने के लिए मासिक रूप से प्रोत्साहित करना मिशन पोषण 2.0 के प्रमुख तत्वों में से एक है।

मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अपेक्षित नियमित कार्यों को पूरा करने के लिए क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएं प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपये प्रति माह और 250 रुपये प्रति माह के लिए पात्र हैं।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (प्रोत्साहन सहित) के अंतर्गत जारी निधि का वर्ष-वार विवरण 31.03.2024 तक **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

अनुलग्नक I

"एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका" के संबंध में 07.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 772 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएम-जेएवाई के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने वाली एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	302
2	आंध्र प्रदेश	55,877

3	अरुणाचल प्रदेश	2,149
4	असम	74,616
5	बिहार	95,623
6	छत्तीसगढ	90,541
7	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	665
8	गोवा	1,007
9	गुजरात	65,867
10	हरियाणा	22,405
11	हिमाचल प्रदेश	8,879
12	जम्मू एवं कश्मीर	44,654
13	झारखंड	42,548
14	कर्नाटक	73,872
15	केरल	32,355
16	लद्दाख	1,842
17	लक्षद्वीप	83
18	मध्य प्रदेश	1,33,586
19	महाराष्ट्र	82,786
20	मणिपुर	6,355
21	मेघालय	4,667
22	मिजोरम	2,632
23	नागालैंड	5,813
24	पुदुच्चेरी	532
25	पंजाब	22,959
26	राजस्थान	34,295
27	सिक्किम	522
28	तमिलनाडु	9,183
29	तेलंगाना	20,459
30	त्रिपुरा	11,221
31	यूटी-चंडीगढ़	629
32	उत्तर प्रदेश	85,277
33	उत्तराखंड	24,091
	कुल	**10,58,292**

अनुलग्नक II

"एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका" के संबंध में 07.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 772 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24
		जारी की गई निधि	प्रयुक्त निधि	जारी की गई निधि	प्रयुक्त निधि	जारी की गई निधि	प्रयुक्त निधि	जारी की गई निधि	प्रयुक्त निधि	जारी की गई निधि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14.98	13.34	16.37	6.37	19.71	13.36	3.85	5.17	12.15
2	आंध्र प्रदेश	825.24	686.20	701.82	763.99	744.60	749.91	827.79	721.45	705.68
3	अरुणाचल प्रदेश	134.71	134.79	82.92	65.01	170.83	230.77	137.78	145.74	162.06
4	असम	1365.53	1241.33	1109.75	1255.72	1319.90	1432.19	1651.63	1717.00	2233.31
5	बिहार	1539.37	1253.87	1288.98	1444.36	1574.43	1608.02	1740.09	1586.61	1859.29
6	चंडीगढ़	17.03	13.30	13.35	16.08	15.32	23.09	33.10	33.10	19.79
7	छत्तीसगढ़	483.88	548.81	513.95	542.07	606.73	522.72	668.96	571.80	579.46
8	दादरा व नगर हवेली और दमन एवं दीव	17.20	8.24	9.02	9.02	9.33	9.56	5.80	5.80	11.97
9	दिल्ली	133.06	140.49	102.70	139.84	133.11	125.52	182.77	142.84	161.81
10	गोवा	16.02	17.02	20.44	17.46	10.84	12.92	14.71	16.83	13.95
11	गुजरात	854.00	725.25	633.13	873.79	839.86	757.92	912.64	552.30	1126.80
12	हरियाणा	181.00	149.87	185.29	232.54	173.03	146.99	195.25	150.24	225.78

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24
		जारी की गई निधि	प्रयुक्त निधि	जारी की गई निधि	प्रयुक्त निधि	जारी की गई निधि	प्रयुक्त निधि	जारी की गई निधि	प्रयुक्त निधि	जारी की गई निधि
13	हिमाचल प्रदेश	251.82	295.25	258.55	295.89	247.99	386.68	270.24	247.76	301.09
14	जम्मू और कश्मीर	332.85	328.31	294.17	450.82	405.74	704.57	479.01	416.23	530.88
15	झारखंड	436.10	455.87	464.33	348.68	352.98	183.30	430.91	596.03	664.30
16	कर्नाटक	861.87	916.51	697.17	1012.84	1003.70	984.62	765.87	885.65	912.96
17	केरल	321.42	331.23	352.03	384.79	388.23	397.98	444.98	325.43	306.64
18	लद्दाख	0.00	0.00	24.18	24.69	14.70	14.67	18.79	18.79	19.62
19	लक्षद्वीप	2.59	1.27	3.06	2.06	2.11	2.73	0.44	0.44	2.88
20	मध्य प्रदेश	1225.60	1276.10	1238.06	1125.20	1085.47	1055.83	1011.57	1038.67	1123.11
21	महाराष्ट्र	1669.40	1416.45	1205.99	1517.51	1713.39	1609.02	1646.17	1589.97	1699.52
22	मणिपुर	162.54	142.27	175.77	148.45	228.92	177.28	135.95	167.74	201.28
23	मेघालय	225.66	181.19	177.92	185.25	173.33	177.86	192.39	200.24	269.69
24	मिजोरम	63.26	56.45	74.60	64.67	59.32	61.57	42.81	46.65	100.27
25	नागालैंड	178.92	169.55	167.23	169.19	159.80	160.21	199.30	190.47	262.91
26	ओडिशा	860.66	892.46	858.68	896.85	1065.98	871.20	923.92	884.92	968.80
27	पुदुच्चेरी	9.86	8.45	4.38	3.50	2.78	6.13	0.12	6.68	4.48
28	पंजाब	201.44	175.11	174.71	207.82	383.52	177.94	75.31	247.25	307.87
29	राजस्थान	673.95	665.42	641.77	702.90	682.65	771.64	974.02	936.17	1091.96
30	सिक्किम	29.47	33.70	24.50	26.06	25.73	24.59	20.33	24.09	33.49
31	तमिलनाडु	764.73	652.94	619.43	695.85	655.38	681.28	766.81	741.30	880.79

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24
		जारी की गई निधि	प्रयुक्त निधि	जारी की गई निधि	प्रयुक्त निधि	जारी की गई निधि	प्रयुक्त निधि	जारी की गई निधि	प्रयुक्त निधि	जारी की गई निधि
32	तेलंगाना	529.96	420.08	405.32	564.04	482.33	479.30	550.69	503.33	507.87
33	त्रिपुरा	166.47	164.05	154.16	177.85	186.72	171.66	150.52	186.55	244.22
34	उत्तर प्रदेश	2544.00	2480.79	2017.49	1925.75	2407.55	2341.91	2721.87	2622.64	2668.69
35	उत्तराखंड	373.96	378.21	327.92	350.07	353.65	336.03	425.84	364.77	288.24
36	पश्चिम बंगाल	1165.26	1321.90	1066.64	897.89	668.35	1378.31	1227.59	1455.89	1237.56
कुल		**18633.81**	**17696.07**	**16105.78**	**17544.87**	**18368.01**	**18789.28**	**19849.82**	**19346.54**	**21741.17**

****